



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.01.2023

लूट की योजना बनाने वाले आरोपी प्रमोद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष 08 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि वर्ष-2012 में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त प्रमोद पुत्र मूलचन्द निवासी किनौनी थाना सरुरपुर जनपद मेरठ को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 488/2012 धारा 399/402 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.01.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रमोद को दोषी पाते हुए धारा 399 भादवि में 02 वर्ष 08 माह का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- प्रमोद पुत्र मूलचन्द निवासी किनौनी थाना सरुरपुर जनपद मेरठ ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 06.01.2023

नाबालिग लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपी दीपक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही -

अवगत कराना है कि अभियुक्त दीपक पुत्र कलवा निवासी ग्राम मंवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में घर में घुसकर नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड व मारपीट की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0- 39/2016 धारा 452/354/323 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.01.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दीपक को दोषी पाते हुए धारा 452 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 08 पोक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- दीपक पुत्र कलवा निवासी ग्राम मंवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 07/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल, 01 इन्वर्टर, 01 बैटरी व एक कार मारुति इगनिश बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.01.23 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अर्जुन पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी की अज्ञात चोरों द्वारा उसकी कार मारुति इगनिश नं0 DL-6CR-1342, 02 मोबाइल व एक इन्वर्टर बैटरी चोरी कर ली है । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 07/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 07/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 मोबाइल, 01 इन्वर्टर, 01 बैटरी व एक कार मारुति इगनिश नं0 DL-6CR-1342 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1-आमिर पुत्र मैनुदीन निवासी बब्लू गार्डन निठोरा रोड थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-मईनुदीन पुत्र मोहम्मद चाँद निवासी बब्लू गार्डन निठोरा रोड थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 3-सालिम पुत्र नसीर निवासी ग्राम पाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

हाल पता बब्लू गार्डन निठोरा रोड थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की हुई इगनिश कार नं0 DL-6CR-1342
- चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन ।
- चोरी किया हुआ एक इन्वर्टर व एक बैटरी ।

(सम्बन्धित मु0अ0सं0 07/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उप नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 04 मुकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 06.01.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

रणवीर पुत्र रामसिंह निवासी बौढा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना छपरौली ।
- 2-का0 434 मनीत कुमार थाना छपरौली ।
- 3-का 369 विशाल कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 06.01.23

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त रमेश पुत्र जगन निवासी मुजफ्फरपुर कनवाडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 नन्द किशोर थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री शिववीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-एचजी 428 ब्रजभूषण थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 06.01.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- दोघट पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित कुमार पुत्र ओमवीर निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पिस्टल .32 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 नन्द किशोर थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री अतेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-है0का0 213 मोहित कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.01.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 446/22 धारा 279/304ए भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एर ट्रक बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 446/22 धारा 279/304ए भादवि में वांछित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से ट्रक टाटा न० UP-17AT-7661 बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जाकिर पुत्र रशीद निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- ट्रक टाटा न० U-17AT-7661

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री दिग्विजय सिंह थाना सिंघवाली अहीर ।
- 2-का० 467 टिकू अधाना थाना सिंघवाली अहीर ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 06.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 13/23 धारा 452/323/504/506/427 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.01.23 को थाना बडौत पर वादी एहसान पुत्र फैय्याज निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-अरशद 2-आदिल 3-शाहरुख पुत्रगण एनुद्दीन व 4-इरशाद पुत्र मेहरदीन निवासीगण मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बडौत द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व उसके घर में तोड़फोड़ की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 13/23 धारा 452/ 323/ 504/ 506/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 13/22 धारा 452/323/504/506/427 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- अरशद पुत्र एनुद्दीन निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- आदिल पुत्र एनुद्दीन निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री गवेन्द्र पाल सिंह ।
- 2- है0का0 165 कुलदीप भाटी ।

3- का0 738 बालकिशन ।

4- का0 1115 राहुल तिवारी ।

5- का0 583 उमेश कुमार ।